



हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 12.12.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है:-

01.थाना- फूलपुर: चोरी गये मोटरसाइकिल, अवैध असलहा व कारतूस के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 24.11.2024 को वादी मुकदमा अखिलेश यादव पुत्र मानबहादुर यादव सा0 भेडिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ जो अपनी मो0सा0 नम्बर-UP 50 CKxxxx से भेडिया शादी समारोह मे गये थे जहाँ से वादी की मो0सा0 चोरी हो गयी, के सम्बन्ध मे थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-576/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है ।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक- 12.12.2024 को चौकी प्रभारी उ0नि0 श्री रज्जन द्विवेदी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1 शिवांश मौर्या पुत्र विक्रम मौर्या निवासी ग्राम ओरिल डीहवाँ थाना पवई जनपद आजमगढ़ 2. सुरज यादव पुत्र इन्द्रजीत यादव निवासी ग्राम पाईन्दापुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ 3. अभिजीत चौहान पुत्र पवन कुमार चौहान सा0 गुवाई थाना दीदारगंज, आजमगढ़ को चोरी की मोटर साइकिल व अवैध असलहा कारतूस के साथ पलिया पुलिया मोड़ से समय करीब 1.53 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया, गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-585/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. शिवांश मौर्या पुत्र विक्रम मौर्या निवासी ग्राम ओरिल डीहवाँ थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष
2. सुरज यादव पुत्र इन्द्रजीत यादव निवासी ग्राम पाईन्दापुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष
3. अभिजीत चौहान पुत्र पवन कुमार चौहान सा0 गुवाई थाना दीदारगंज, आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

- 1 एक तंमचा 315 बोर एवं दो जिन्दा कारतूस 315 बोर
2. चोरी की एक मो0सा0 व एक मोटर साइकिल पल्सर नम्बर UP62BW0814 को सीज अन्तर्गत धारा 207 एमबी एक्ट
4. 04 मोबाइल व 370 रुपया नकद

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	576/24	303(2)/317(2)/317(5)	बीएनएस	फूलपुर आजमगढ़
2.	585/24	3/25 शस्त्र अधि0	फूलपुर	आजमगढ़



02.थाना मुबारकपुर: शेयर मार्केट में इनवेस्ट कराने के नाम पर हुए साइबर फ्रॉड में आवेदक को 40,000/- रूपया वापस कराया गया।

पूर्व की घटना:-

दिनांक 23.07.2024 को आवेदक श्री वीरेन्द्र प्रजापति पुत्र सुरेश प्रजापति निवासी ग्राम अमिलो थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ से मास्टर ट्रस्ट एप के माध्यम से शेयर मार्केट में इनवेस्ट कराने के नाम पर कुल 40,000/- रूपये का साइबर फ्रॉड हो गया था। आवेदक द्वारा उक्त घटना की सूचना थाना मुबारकपुर पर दिया गया। कम्प्यूटर ऑपरेटर मेहताब आलम द्वारा आवेदिका से तत्काल साइबर हेल्पलाइन के टोल फ्री नम्बर 1930 पर कॉल कराकर कम्प्लेन्ट नं0 23109240110458 दर्ज कराया गया था।

रूपया वापसी का विवरण:-

उक्त प्रकरण में जाँचोपरान्त साइबर सेल एवं सम्बन्धित बैंक के अधिकारी से सम्पर्क कर साइबर फ्राड के माध्यम से फ्रॉड हुआ 40,000/- रूपयों के सम्बन्ध में मा0न्यायालय से आदेश कराते हुए HDFC BANK के नोडल अधिकारी के माध्यम से आवेदक का 40,000/- रूपया खाते में वापस कराया गया। आवेदक अपना फ्रॉड के माध्यम से कटा हुआ रूपया वापस पाकर पुलिस का आभार व्यक्त किया है। जिसकी विडियो संलग्न किया जा रहा है।

पुलिस टीम का विवरण:-

रि0उ0नि0 आशुतोष कुमार मौर्य थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
कम्प्यूटर ऑपरेटर मेहताब आलम थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
महिला आरक्षी दीक्षा मिश्रा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़



03.थाना- निजामबाद:दुष्कर्म के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक 09.12.24 को प्रतिवादी किशन पुत्र अजय निवासी सेमरा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष द्वारा वादी मुकदमा की लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ कहीं भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 564/24 धारा 87,137(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 बीएनएस व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 12.12.24 को उ0नि0 मो0 शमशाद खां मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त किशन पुत्र अजय कुमार निवासी सेमरा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को अभियुक्त के घर से समय करीब 10.10 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।



04.थाना सरायमीर: लड़की को अगवा करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक- 01.04.2024 को जनसुनवायी हेल्प डेस्क पर आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 31.03.24 को पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष घर में अकेली थी तभी ग्राम निजामुद्दीन पट्टी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के दो लड़के आये जिनका नाम बीरू गौतम पुत्र अज्ञात , और मेण्टी गौतम पुत्र गुलाब चन्द्र के द्वारा छेड़खानी करने लगा जब मेरी पुत्री शोर मचाने लगी तो उपरोक्त लड़के मेरी पुत्री को गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गये, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 155/2024 धारा 363/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम 1. वीरू गौतम पुत्र छट्टू सा0 निजामुद्दीनपट्टी सेन्दूरी थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष , और 2. मेण्टी गौतम पुत्र गुलाब चन्द्र निजामुद्दीनपट्टी सेन्दूरी थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

विवेचना के आधार पर दिनांक 20.06.2024 को वीरू गौतम पुत्र छट्टू सा0 निजामुद्दीनपट्टी सेन्दूरी थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष गिरफ्तार कर पूर्व में मा0न्यायालय किया जा चुका है। फरार चल रहे है अभियुक्त मेण्टी गौतम पुत्र गुलाब चन्द्र निजामुद्दीनपट्टी सेन्दूरी थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को आज दिनांक 12.12.2024 को गिरफ्तार कर चालान मा0न्यायालय किया गया ।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 12.12.2024 को उ0नि0 श्री अखिलेश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मेण्टी गौतम पुत्र गुलाब चन्द्र निवासी ग्राम निजामुद्दीनपट्टी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को सिकरौर सहबरी बाजार से समय करीब 10.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।



05.थाना- जीयनपुर: 04 वारण्टी गिरफ्तार ।

दिनांक—12/12/2024 को उ0नि0 विजय सिंह गौड़ मय हमराह द्वारा मा0न्यायालय द्वारा निर्गत वारण्ट मु0नं0 4468/23 धारा 147/452/323/504 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़ से सम्बन्धित वारण्टीगण 1. केवल प्रसाद पुत्र स्व घरपतू उम्र 59 वर्ष 2.भानुमती पत्नी केवल प्रसाद उम्र 57 वर्ष 3.मनीष कुमार पुत्र केवल प्रसाद उम्र 40 वर्ष नि0ग्राम बेरमा थाना जीयनपुर आजमगढ़ को समय 8.30 बजे उनके घर से हिरासत पुलिस मे लिया गया व ई0सं0 149/21 धारा 128 सीआरपीसी न्यायालय अपर प्रधान पारिवारिक न्यायालय प्रथम आजमगढ़ से सम्बन्धित वारण्टी राजकुमार यादव पुत्र रामवृक्ष यादव उम्र 40 वर्ष नि0ग्राम बेरमा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ समय करीब 08.40 बजे उसके घर से हिरासत मे लिया व अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त/वारण्टी का विवरण:-

1. केवल प्रसाद पुत्र स्व घरपतू उम्र 59 वर्ष निवासी ग्राम बेरमा थाना जीयनपुर आजमगढ़
- 2.भानुमती पत्नी केवल प्रसाद उम्र 57 वर्ष निवासी ग्राम बेरमा थाना जीयनपुर आजमगढ़
- 3.मनीष कुमार पुत्र केवल प्रसाद उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम बेरमा थाना जीयनपुर आजमगढ़
- 4.राजकुमार यादव पुत्र रामवृक्ष यादव उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम बेरमा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

